भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 48/2023
दिनांकः 7 दिसम्बर, 2023

विषयः राष्ट्रीय सहाकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से कोमोरोस, मेडागास्कर, इक्वेटोरियल गिनी, मिस्र और केन्या के लिए गैर–बासमती सफेद चावल (एचएस कोड 10063090 के तहत) का निर्यात।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 20.07.2023 की अधिसूचना सं. 20/2023 के पैरा 2(iv) में निहित प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से कोमोरोस, मेडागास्कर, इक्वेटोरियल गिनी, मिस्र और केन्या को गैर–बासमती सफेद चावल (एचएस कोड 10063090 के तहत) की निम्नलिखित मात्रा का निर्यात अनुमत किया जाता हैः–

क्र. स.	देश का नाम	मात्रा
1	कोमोरोस	20,000 मीट्रिक टन
2	मेडागास्कर	50,000 मीट्रिक टन
3	इक्वेटोरियल गिनी	10,000 मीट्रिक टन
4	मिस्र	60,000 मीट्रिक टन
5	केन्या	1,00,000 मीट्रिक टन

अधिसूचना का प्रभावः

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से कोमोरोस, मेडागास्कर, इक्वेटोरियल गिनी, मिस्र और केन्या के लिए गैर–बासमती सफेद चावल (एचएस कोड 10063090 के तहत) का निर्यात अधिसूचित किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी 7.12.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/191/049/एएम–24/ईसी/ई–37225 से जारी)